सितम्बर,2018 के महत्वपूर्ण प्रयास ....

* संभागीय आयुक्त, जिलाधीश-ग्वालियर एवं महापौर-श्री विवेकनारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, शहर में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई ।

* जिलाधीश, ग्वालियर, संभागीय आयुक्त, ग्वालियर एवं प्रमुख सचिव-राजस्व विभाग, म. प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर, म. प्र. लैंड रेवेन्यू कोड में किए गए संशोधन की प्रति उपलब्ध कराए जाने की माँग की गई ।

* पुलिस अधीक्षक, श्री नवनीत भसीन जी को पत्र प्रेषित कर, व्यवसाई-श्री अजय गुप्ता जी के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी एवं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की माँग की गई ।

* रेलवे बोर्ड के चेयरमैन-श्री अश्विनी लोहानी जी को पत्र प्रेषित कर, अक्टूबर माह में ग्वालियर प्रवास के अवसर पर चेम्बर भवन में पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया गया ।

* महापौर-श्री विवेकनारायण शेजवलकर एवं आयुक्त, नगर-निगम को पत्र प्रेषित कर, खेरीज किराना व्यवसाईयों से नगर-निगम के अधिकारियों द्वारा पॉलीथीन में सामान ग्राहकों को दिए जाने के गलत चालान काटकर, जुर्माना वसूल किए जाने की कार्यवाही को सख्ती रोके जाने की माँग की गई ।

* डॉ. श्रीमती ज्योति बिंदल जी के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इन्दौर के डीन बनने पर उन्हें चेम्बर की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की गई ।

* पुलिस अधीक्षक, श्री नवनीत भसीन जी को पत्र सौंपकर, व्यवसाई-श्री अजय गुप्ता जी पर प्राणघातक हमले के दोषी अपराधियों को गिरफ्तार किए जाने पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया । साथ ही, माँग की गई कि गिरफ्तार सभी अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु न्यायालय में पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए जाए, जिससे कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ।

* पुलिस अधीक्षक, श्री नवनीत भसीन जी को ज्ञापन सौंपकर, माँग की गई कि शहर के व्यवसाईयों एवं उद्योगपतियों को आए दिन मोबाइल पर धमकी देने वाले बदमाशों को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर सख्ती से रोक लग सके और व्यवसाईगण अपना कारोबार बगैर किसी भय के शांतिपूर्वक कर सकें ।

* महापौर-श्री विवेकनारायण शेजवलकर जी को पत्र प्रेषित कर, सम्पत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 6% छूट की अवधि आगामी 31 अक्टूबर,18 किए जाने की माँग की गई ।

*****